पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) सं. 3289

थाना कांड संख्या-8 वर्ष-2017 थाना-रायम, जिला-दरभंगा से उत्पन्न

==========

1. धीरेंद्र कुमार धीरज ऊर्फ धीरज यादव, पुत्र- मिश्र लाल यादव, गाँव-गोसाई टोल पचरधी, थाना-रायन, जिला-दरभंगा।

2. धर्मेंद्र कुमार यादव ऊर्फ धर्मेंद्र यादव, पुत्र-किशुनी यादव, गाँव - गोसाई टोल पचरधी, थाना-रायन, जिला-दरभंगा।

3. मिश्री लाल यादव, पुत्र- स्वर्गीय कुंजू यादव, गाँव-गोसाई टोल पचरधी, थाना-रायन, जिला-दरभंगा।

4. किशुनी यादव, पुत्र-स्वर्गीय कुंजू यादव, गाँव- गोसाई टोल पचरधी, थाना- रायन, जिला-दरभंगा।

5. पिंटू ठाकुर ऊर्फ अरविंद ठाकुर, पुत्र- राजेंद्र ठाकुर, निवासी- गाँव के चाचा, थाना-रायन, जिला-दरभंगा।

.... याचिकाकर्ताओं

बनाम्

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
		श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता-स्टेट	:	श्री सदनंद पासवान, विशेष पी. पी.
सूचक की ओर से	:	सुश्री अर्चना सिन्हा, अधिवक्ता

श्री केदार झा, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354-बी, 386, 427, 504, 506*
- *एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3।*

संदर्भित मामले:

- *सुरेश गरोडिया बनाम असम राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 185/2024*
- *कंचन कुमार बनाम बिहार राज्य [(2022) 9 एससीसी 577]*
- *हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य [एआईआर 2020 एससी 558]*
- *गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 603]*
- *गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता [एआईआर 2019 एससी 2499]*
- *पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद खालिद और अन्य [(1995) 1 एससीसी 684]*
- *गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोरसिंह राव आपराधिक अपील संख्या 2504/2023 के माध्यम से तय किया गया*
- *श्योराज सिंह अहलावत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2013) 11 एससीसी 476*
- *सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता [(2015) 3 एससीसी 424]*
- *महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सोम नाथ थापा और अन्य [(1996) 4 एससीसी 659]*

- *वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य [(2015) 8 एससीसी 293]*
- *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 सप (1) एससीसी 335]*

***अपील**- उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत संबंधित विशेष न्यायधीश ने पुलिस रिपोर्ट से अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया और आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354-बी, 386, 427, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की।*

***निर्णय**- यह प्रतीत होता है कि घटना का मुख्य कारण दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद है। यह स्पष्ट है कि उसी घटना के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से भी एक प्रतिवाद मामला दर्ज किया गया था। इसलिए, घटना एक स्वीकृत स्थिति है। यह सिद्धांत रूप से स्थापित कानून है कि संज्ञान अपराध के लिए लिया जाता है, न कि आरोपी के खिलाफ। यह भी स्थापित सिद्धांत है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र से अलग दृष्टिकोण अपना सकता है, यहां तक कि उन्हें आरोपमुक्त करके ट्रायल के लिए भेजने की बजाय। (पैरा 36)*

संज्ञान आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दो घायल गवाहों की गवाही को ध्यान में रखा गया, जिन्होंने घटना में सभी एफआईआर में नामित आरोपी व्यक्तियों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल हैं, की संलिप्तता का समर्थन किया और शारीरिक चोटें पहुंचाने का विशिष्ट आरोप लगाया। उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें भी आई हैं और उनके बयान के आधार पर, संज्ञान अपीलकर्ताओं के खिलाफ लिया गया, जहां पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रूप से अलग दृष्टिकोण अपनाया गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कानून की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्राथमिक मामला स्थापित नहीं किया गया है। (पैरा 37)

इसलिए, संज्ञान आदेश को रद्द करने और आरोप तय करने के संबंध में प्रार्थना का कोई आधार नहीं है, और उपर्युक्त तथ्यों और कानूनी कारणों के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, जैसा कि आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354-बी, 386, 427, 504 और 506 के तहत अपराधों से संबंधित है। (पैरा 39)

यह प्रतीत होता है कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप भूमि विवाद के संदर्भ में उठाए गए थे ताकि आरोप को और अधिक गंभीर बनाया जा सके। यह कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि घटना एससी/एसटी अधिनियम, 1989 के तहत परिभाषित अत्याचारों के कारण हुई थी, जो स्पष्ट रूप से भूमि विवाद के कारण हुई थी। एफआईआर के अवलोकन से यह भी प्रतीत नहीं होता कि 'साला चौपालवा' शब्दों का उच्चारण और थूकने का आरोप सार्वजनिक दृष्टि में किया गया था। (पैरा 41)

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर)(एस) के तहत अपराध के लिए विशेष न्यायधीश द्वारा लिया गया संज्ञान कानून की दृष्टि से गलत है और इसे यहां रद्द और निरस्त किया जाता है। (पैरा 42)

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। (पैरा 43)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

कैव जजमेंट

तारीख : 08-07-2024

वर्तमान अपील ज्ञापन विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दरभंगा द्वारा जी.आर. केस संख्या 13/2017 में पारित दिनांक 24.05.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है, जो रायम थाना काण्ड संख्या 8/2017 से उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट से अलग राय लेते हुए अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया और भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं.सं') की धारा 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323,

354- बी, 386, 427, 504, 506 और एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3(1) (आर) के तहत अपराधों का सामना करने के लिए समन जारी किया।

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, शिवन चौपाल (सूचनादाता) द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से यह बात सामने आती है कि 10.03.2017 को लगभग 9.00 बजे जब वह अपने दरवाजे (बाहरी आंगन) पर बैठे थे, तो मिश्री लाल यादव (अपीलार्थी संख्या 3) और उनके पुत्र धीरज यादव (अपीलार्थी संख्या 1) 100-150 लोगों के साथ मिलकर उनकी आवासीय भूमि पर ट्रैक्टर का उपयोग करके जुताई शुरू कर दी। जब सूचनादाता ने उपरोक्त कार्य का विरोध किया, तो मिश्री लाल यादव और उनके पुत्र ने अपने लोगों को आदेश दिया कि सूचनादाता को कुछ उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपमानजनक शब्दों *'साला हरिजन चौपालवा'* का उल्लेख करके नेता बनने की कोशिश कर रहा है। उनके कहने पर, मिश्री लाल यादव (अपीलार्थी संख्या 3), उनके पुत्र धर्मेंद्र यादव (अपीलार्थी संख्या 2), किशुनी यादव (अपीलार्थी संख्या 4), परीक्षण मंडल, राम नारायण मंडल, बिश्वनाथ साह, सुरेश मंडल, राम बिलास मंडल, सोबी मंडल, हरे मंडल, सुकेश मंडल, पवन मंडल, शंकर मंडल, ललित साह, सुजीत साह, रघुनाथ ठाकुर और पिंटू ठाकुर ने विभिन्न हथियारों से उस पर हमला किया और उक्त शारीरिक हमले से वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद, सत्तो चौपाल (भाई), शांति देवी (पत्नी), मनोज चौपाल (भतीजा) घटनास्थल पर दौड़कर आए और उन्हें बचाया, जिस पर, धीरेंद्र कुमार धीरज ऊर्फ धीरज यादव (अपीलार्थी संख्या 1) ने *फरसा* से उनकी पत्नी के सिर पर हमला किया, जिससे खून बहने लगा। जब उनका पुत्र उसे बचाने आया, तो धर्मेंद्र कुमार यादव (अपीलार्थी संख्या 2) ने *फरसा* से उसके सिर पर हमला किया। उनके भाई सत्तो चौपाल को बिश्वनाथ साह और राम नारायण मंडल ने लोहे की रॉड से हमला किया। सभी अभियुक्तों ने उनके परिवार के सदस्यों पर बुरी तरह हमला किया। जब उन्होंने अलार्म सुना, तो ग्रामीण घटनास्थल पर आए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त

व्यक्ति वहां से भाग गए और भागते समय, उन्होंने सूचनादाता के घर से 50,000 रुपये के विभिन्न सामान लूट लिए। यह आगे आरोप लगाया गया है कि मिश्री लाल यादव (अपीलार्थी संख्या 3) ने उनकी पत्नी के शरीर पर थूका और पूरे परिवार को मारने की धमकी दी।

3. उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर, रायम थाना कांड संख्या 8/2017 दिनांक 10.03.2017 के तहत भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354-बी, 386, 427, 504, 506 और एससी एवं एसटी अधिनियम, 2015 की धारा 3(1)(आर)एस) के तहत औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने 13 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जहाँ मिश्री लाल यादव (अपीलकर्ता संख्या 3), धर्मेंद्र कुमार यादव (अपीलकर्ता संख्या 2), किशुनी यादव (अपीलकर्ता संख्या 4), धीरज यादव (अपीलकर्ता संख्या 1) और पिंटू कुमार (अपीलकर्ता संख्या 5) को 2018 के आरोप-पत्र संख्या 21 दिनांक 31.05.2018 के माध्यम से मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया था।

5. जांच के दौरान एकत्र सामग्री के अवलोकन के बाद, विद्वान विशेष न्यायाधीश, (एससी/एसटी पीओए अधिनियम), दरभंगा ने दिनांक 24.05.2019 के आदेश के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट से अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए, पूर्वोक्त अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी की, जिनके खिलाफ पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उन्हें परीक्षण के लिए नहीं भेजा।

6. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 15.09.2022 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जहां मिश्री लाल यादव (अपीलकर्ता संख्या 3) ने 15.09.2022 के उक्त आदेश को दं.प्र.सं. संशोधन संख्या 686/2022 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष

चुनौती दी थी, लेकिन चूंकि यह सुनवाई योग्य नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता ने उक्त आपराधिक संशोधन को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया और दिनांक 02.03.2023 के आदेश/दिनांक 14.03.2023 के संशोधित आदेश के तहत, इस माननीय न्यायालय ने उचित चरण में उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ उपरोक्त आपराधिक संशोधन आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी थी। यह आगे प्रतीत होता है कि एक आई.ए. अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील में दिनांक 14.11.2022 को आई.ए. संख्या 1/2022 दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 15.09.2022 के आदेश को चुनौती देने के लिए अपील की प्रार्थना में संशोधन करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन, उक्त आई.ए. आप. संशोधन संख्या 686/2022 दिनांक 02.03.2023/संशोधित आदेश दिनांक 14.03.2023 में पारित आदेश से पहले दायर किया गया था। लंबित कार्यवाही के दौरान, उपरोक्त स्वतंत्रता का आश्रय लेते हुए, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 15.09.2022 के आदेश को भी रद्द करने के लिए वर्तमान अपील में आई.ए. संख्या 2/2023 दायर की, जिसमें विद्वान ट्रायल/विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

7. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय के दिनांक 14.12.2022 के आदेश के अनुसार, जैसा कि विद्वान समन्वय पीठ में से एक द्वारा पारित किया गया था, अपीलकर्ताओं के संबंध में ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। वर्तमान अपील में पारित दिनांक 14.12.2022 के आदेश को सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"सुना गया।

स्वीकार किया गया।

विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी पीओए एक्ट), दरभंगा की अदालत से रायम थाना काण्ड संख्या 08/2017 से उत्पन्न जीआर मामला संख्या 13/2017 के निचले न्यायालय के रिकॉर्ड मंगाए जाएं।

निचली अदालत के अभिलेख प्राप्त होने पर इस अपील को सूचीबद्ध करें।

इस बीच, जीआर मामला संख्या 13/2017 से संबंधित आगे की कार्यवाही, जो रायम पीएस मामला संख्या 08/ 2017 से उत्पन्न हुआ है, दरभंगा के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी पीओए एक्ट) की अदालत में लंबित है, वह रोकी जाएगी।"

8. उपरोक्त स्थगन आदेश से व्यथित होकर, सूचक ने एसएलपी (सीआरएल) डायरी संख्या 29623/2023 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.08.2023 के आदेश के तहत निम्नलिखित आदेश पारित किया, जो सुविधा के लिए और पक्षों के बीच कार्यवाही को बेहतर ढंग से समझने के लिए नीचे भी पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"वकील की बात सुनने के बाद अदालत ने निम्नलिखित आदेश दिए

आदेश

एसएलपी दाखिल करने की अनुमति दी गई।

देरी माफ की गई।

इस आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सूचक /शिकायतकर्ता ने पीड़ित होने का दावा किया और इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए (2) को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की स्थिरता के मुद्दे पर याचिका पर विचार किया।

अब 09.08.2023 को दिए गए फैसले से इस मुद्दे का समाधान हो गया है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को अपील {आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 3289/2019} का यथाशीघ्र, अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर निपटारा करना आवश्यक है। यदि किसी कारण से अपील का निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि कार्यवाही पर रोक जारी रखी जाए या नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।"

9. कार्यवाही की ऐसी सभी पृष्ठभूमि और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अजय ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, पुलिस द्वारा वैज्ञानिक जांच की गई और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर, चूंकि अपीलकर्ता घटना के समय और स्थान पर मौजूद नहीं पाए गए, जिसे जांच के दौरान विभिन्न गवाहों द्वारा भी समर्थित किया गया, पुलिस ने अपीलकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए न भेजकर

उन्हें दोषमुक्त करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह भी बताया गया है कि उसी घटना के लिए, सह-अभियुक्त विश्वनाथ साह ने भी रायम थाना कांड संख्या 9/2017 को जन्म देते हुए एक मामला दर्ज कराया, जहां इस मामले के सूचक ने उन्हें खाता संख्या 4, खेसरा संख्या 398 वाली कृषि भूमि के एक टुकड़े को ट्रैक्टर से जोतने से रोका। यह भी आरोप लगाया गया है कि सह-अभियुक्त विश्वनाथ साह और अन्य पर सूचक पक्ष द्वारा हमला किया गया था। प्रस्तुत है कि सह-अभियुक्त विश्वनाथ साह का बयान दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (संक्षेप में 'डी.एम.सी.एच') के आपातकालीन वार्ड में दिनांक 10.03.2013 को दर्ज किया गया था, जो कि रायम थाना कांड संख्या 9/2017 का आधार है।

10. श्री ठाकुर ने आगे कहा कि इस अपील के अनुलग्नक-3 से, जो कि रैयाम पी.एस. केस संख्या 9/2013 दिनांक 10.03.2017 की एफआईआर की प्रति है, जिसे सह-अभियुक्त बिश्वनाथ साह ने उसी घटना के संबंध में लिखा था, जिसमें उन्हें भी चोटें आईं थीं, ऐसा कहीं नहीं लगता कि अपीलकर्ता घटना के दौरान मौजूद थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि खाता संख्या 4, खेसरा संख्या 398 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी पर्चा (राजस्व रसीद) उनके पक्ष में था और इस प्रकार, उक्त भूमि के टुकड़े के संबंध में सूचनाकर्ता का दावा निराधार है।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा कि सूचनाकर्ता 'खतवे' जाति से संबंधित है, लेकिन उसने अपना उपाधि 'चौपाल' रखा है। यह बताया गया है कि सूचनाकर्ता के पिता को पहले 'खतवे' उपाधि से जाना जाता था, जो खाता संख्या 192, खेसरा संख्या 185, मौजा-पचराही और आसपास की पैतृक भूमि के अन्य खेसरों जैसे विभिन्न राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जाति 'खतवे' पहले पिछड़े वर्ग में शामिल थी, जो बिहार सरकार द्वारा जारी ओबीसी

की सामान्य सूची के अनुसार क्रम संख्या 25 पर थी, जो वर्तमान अपील ज्ञापन के अनुलग्नक-5 में है। आगे यह भी कहा गया है कि जाति 'खतवे' को भी "अत्यंत पिछड़ा वर्ग" (संक्षेप में 'ईबीसी') की श्रेणी में रखा गया था, जो क्रम संख्या 19 पर था, लेकिन संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 11/17891 दिनांक 28.12.2012 में निहित सरकारी संकल्प द्वारा यह अधिसूचित किया गया कि जाति 'खतवे' को ईबीसी से हटा दिया जाना चाहिए।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आज तक, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति की सूची में शामिल होने के लिए 'खतवे' को एक जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया है और इस तरह, एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं के संबंध में संज्ञान निराधार है और कानून की नज़र में बुरा है और इसलिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश के पास वर्तमान मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बताया गया है कि यह शीर्षक बदलने का मामला है, जो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है जब तक कि उसकी जाति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की जाती है।

13. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ठाकुर ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायालय, जो कि मूल न्यायालय है, विशेष न्यायालय होने के नाते, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न राय रखते हुए अपीलकर्ताओं के संबंध में संज्ञान लेने का कारण अवश्य बताना चाहिए और अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि हाल ही में **सुरेश गरोडिया बनाम असम राज्य और अन्य [आपराधिक अपील संख्या 185/2024,**

जो एसएलपी (आप.) संख्या 9142/2022 दिनांक 09.01.2024 से उत्पन्न हुई है] के मामले में देखी गई है।

14. श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि जिन गवाहों ने अपीलार्थियों की घटना में संलिप्तता के बारे में बयान दिया है, वे रिश्तेदार हैं और स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अपीलार्थियों को नामित करने के लिए एक अलौकिक प्रेरणा से प्रेरित हैं। यह बताया गया है कि जांच के दौरान, सुशील चौपाल (मामले की डायरी के पैरा 31 में) सहित विभिन्न स्वतंत्र गवाहों की जांच की गई, जिन्होंने कहा कि दोनों समूहों के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया और आगे कहा कि धर्मेंद्र कुमार यादव (अपीलार्थी संख्या 2), किशुनी यादव (अपीलार्थी संख्या 4) और पिंटू ठाकुर (अपीलार्थी संख्या 5) घटना के दौरान मौजूद नहीं थे। यह बताया गया है कि मिश्री लाल यादव (अपीलार्थी संख्या 3) घटना के दौरान गांव भरतपुर में मौजूद थे, जो घटनास्थल से 6 किमी दूर है, और इसी तरह धर्मेंद्र कुमार यादव (अपीलार्थी संख्या 1) भी मौजूद नहीं थे और यह वही थे जिन्होंने घटना के बारे में रायम पुलिस स्टेशन के अधिकारी को सूचित किया था। यह बताया गया है कि अपीलार्थियों के मोबाइल के सीडीआर और स्थान की जांच की गई, जिसने घटना के समय और तारीख पर विभिन्न स्थानों पर उनकी उपस्थिति के बारे में तथ्यों की पुष्टि की।

15. यह भी बताया गया है कि दोनों समूहों के लोगों को चोटें आईं, लेकिन अपीलकर्ताओं पर कोई चोट नहीं पाई गई, जो आगे यह सुझाव देता है कि वे घटना के दौरान मौजूद नहीं थे। यह भी बताया गया है कि केस डायरी के पैरा-73 के अनुसार, पिंटू ठाकुर (अपीलकर्ता संख्या 5) घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और 'यज्ञ' में भाग ले रहा था और उसे केवल मिश्री लाल यादव (अपीलकर्ता संख्या 3) का समर्थक होने के कारण नामित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं की

अनुपस्थिति के बारे में तथ्यों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जो जांच के दौरान सामने आए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच के बाद, इस मामले के जांच अधिकारी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं भेजा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त बिश्वनाथ साह द्वारा दर्ज किए गए काउंटर केस यानी रायम थाना मामला संख्या 9/2013 में, जांच के बाद, पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ भी अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिन्हें घटना के दौरान चोटें नहीं आईं।

16. अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में, श्री ठाकुर ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों के अनुसार, आरोप तय करते समय अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मजबूत संदेह होना चाहिए, जो वर्तमान मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा छूट याचिका की सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने के लिए विचारण न्यायालय को बाध्य किया जाना चाहिए और अपने इस तर्क के समर्थन में, श्री ठाकुर ने **कंचन कुमार बनाम बिहार राज्य [(2022) 9 एसएससी 577]** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है।

17. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि घटना का आधार भूमि विवाद है, न कि एससी/एसटी अधिनियम के अर्थ में परिभाषित अत्याचार। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य [एआईआर 2020 एससी 558]** के मामले में रिपोर्ट किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जैसा कि

गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 603] के मामले में रिपोर्ट किया गया है।

18. इस बिंदु पर आगे तर्क देते हुए, विद्वान वकील ने कहा कि सूचना देने वाले की जाति यानी 'खतवे' को अभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अधिसूचित किया जाना है और इस तरह, एससी/एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाना कानून की नज़र में गलत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार ने पहले ही बिहार राज्य के लिए 'खतवे' को पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित कर दिया है और केंद्र सरकार ने बीसी श्रेणी से 'खतवे' को हटाने के लिए अनुमोदन देने से इनकार कर दिया है। यह भी बताया गया है कि 'चौपाल' जाति को 'खतवे' से अलग जाति के रूप में पहचाना गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा वर्गीकृत बिहार राज्य के लिए एससी श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान के तहत, राज्य सरकार के पास एससी/एसटी श्रेणी के तहत किसी भी जाति या उपजाति को जोड़ने की कोई शक्ति/अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, जब तक केंद्र सरकार द्वारा 'खतवे' को बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति घोषित करने की कोई अधिसूचना नहीं होती है, तब तक राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश शुरू से ही अमान्य है।

19. *इसके विपरीत,* मुखबिर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अर्चना शाही ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर में लगाए गए आरोपों का समर्थन घटना के पांच घायल चश्मदीद गवाहों ने किया था, जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ घातक हथियारों से हमला करके शारीरिक चोट पहुंचाने का विशेष आरोप था और उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विशेष न्यायालय/विचारण न्यायालय ने पुलिस के निष्कर्ष से अलग होकर संज्ञान लिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इस आधार पर कि पुलिस को मोबाइल नंबर 9431819191, जो अपीलकर्ता नंबर 3 का है, के टावर

लोकेशन की कोई गतिविधि नहीं मिली, यह निष्कर्ष निकला कि अपीलकर्ता घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह अत्यधिक संदिग्ध तथ्य का प्रश्न है और इस पर केवल ट्रायल के दौरान ही निर्णय लिया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल अभियुक्तों में से एक बिश्वनाथ साह द्वारा घटना के समान सेट के संबंध में क्रॉस केस दायर किया गया था, जिसे इस मामले के बाद रायम थाना मामला सं. 9/2013 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसलिए, घटना को स्वीकार किया जाता है। यह बताया गया है कि संज्ञान के चरण में कानून के तहत ऐसी सामग्री की उपलब्धता की आवश्यकता होती है, जो अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त हो सकती है और ऐसे मानक की आवश्यकता नहीं होती है, जो अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने या बरी करने की संभावना हो। यह बताया गया है कि न्यायालय को संज्ञान लेने के चरण में साक्ष्य और उसकी योग्यता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके समर्थन में, विद्वान वकील ने **गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता [एआईआर 2019 एससी 2499] और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद खालिद और अन्य [(1995) 1 एससीसी 684]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

20. जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपराधों के लिए संज्ञान लेने की बात है, यह इंगित किया जाता है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1971 में गठित मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में 'चौपाल' जाति की पहचान 'खतवे' के रूप में की गई थी तथा उक्त आयोग की रिपोर्ट को बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इसे 28.12.2012 से ईबीसी की अनुसूची से भी हटा दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा इस आशय का संकल्प जारी किया गया है कि 'खतवे' को 'चौपाल' के शीर्षक/उपनाम के साथ घोषित किया

जाए तथा जहां भी सरकारी या गैर-सरकारी राजस्व अभिलेख या अन्य अभिलेखों में 'खतवे' को दर्शाया गया है, उसे 'चौपाल' पढ़ा जाए तथा इस आशय का भी संकल्प जारी किया गया है कि 'खतवे' को अनुसूचित जाति के नाम से 'चौपाल' के रूप में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्य केवल सूचना देने वाले के संबंध में ही नहीं है, बल्कि बिहार के सभी व्यक्तियों के संबंध में है, जिन्हें शुरू में 'खतवे' के रूप में नामित किया गया था। इसे देखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचनादाता की अनुसूचित जाति की स्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता।

21. विद्वान वकील ने आगे बताया कि इस मामले के सूचनादाता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और अपीलार्थी संख्या 3 ने विशेष रूप से उसकी पत्नी पर सार्वजनिक रूप से थूका था, जो कि प्रथम दृष्टया एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 2015 के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है।

22. सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री शाही ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') की धारा 227 के तहत उनके छूट याचिका की अस्वीकृति को चुनौती नहीं दी है, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, बल्कि वे उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं जब अपीलकर्ताओं के खिलाफ दं.प्र.सं. की धारा 228 के तहत आरोप पहले ही तय हो चुके हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि छूट याचिका को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती न देना और दं.प्र.सं. की धारा 228 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पहले ही तय हो जाने के बाद आदेश को चुनौती देना, यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा छूट याचिका के आदेश को खारिज करने से व्यथित नहीं थे, जिसे उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करके पारित किया गया था, यह

संतुष्ट होने के बाद कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया गंभीर संदेह है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोरसिंह राव** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसका निर्णय आपराधिक अपील संख्या 2504/2023 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से हुआ।

23. यह भी बताया गया है कि आरोप तय करने के चरण में, जांच अनिवार्य रूप से यह तय करने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या ऐसी दलीलों से उभरने वाले तथ्य अपराध का गठन करते हैं जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट का हवाला दिया है जैसा कि **श्योराज सिंह अहलावत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2013) 11 एससीसी 476]** के मामले में रिपोर्ट किया गया है।

24. मैंने रिकार्ड पर उपलब्ध दलीलों का अवलोकन किया है तथा पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखा है।

25. अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं ने वर्तमान आपराधिक अपील के माध्यम से विचारण न्यायालय के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी है; पहला भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354-बी, 386, 427, 504, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(आर)एस) के तहत अपराधों के लिए दिनांक 24.05.2019 को संज्ञान का आदेश है और दूसरा, दं.प्र.सं. की धारा 228 के तहत दिनांक 15.09.2022 को आरोप तय करने का आदेश है।

26. यह स्पष्ट किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज की गई आरोपमुक्त करने की याचिका को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

27. विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 24.05.2019 के संज्ञान आदेश को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

> "न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी पीओए एक्ट) दरभंगा
>
> **जी.आर. संख्या 13/17**
>
> (रायम थाना मामला संख्या 08/17 से उत्पन्न)
>
> **24.05.2019** रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। संज्ञान संबंधी मामले में विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।
>
> अभिलेख का अवलोकन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के अनुसंधान अधिकारी ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 324, 307 और 354, 406 447 तथा धारा 3(1)(आर)(एस) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केस डायरी के साथ पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। प्राथमिकी में नामजद आरोपीगण 1. परिच्छन मंडल, 2. राम नारायण मंडल, 3. विश्वनाथ साह, 4. सुरेश मंडल, 5. राम बिलास मंडल, 6. शोभी मंडल, 7. हरे मंडल, 8. सुकेश मंडई, 9. पवन मंडल, 10. शंकर मंडल, 11. ललित साह, 12. सुजीत साह और 13. रघुनाथ ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य एफआईआर में नामित अभियुक्त व्यक्तियों में 1. मिश्री यादव, 2. किशुनी यादव, 3. धर्मेंद्र यादव, 4. धीरज यादव और 5. पिंटू ठाकुर शामिल हैं, जिन्हें अभी तक मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया है।
>
> एफआईआर, चार्जशीट, केस डायरी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के दौरान गवाहों, विशेष रूप से सत्तो चौपाल, सरोज चौपाल ने कथित अपराध में सभी एफआईआर नामजद आरोपियों की संलिप्तता का

समर्थन किया, जिसमें गैर-जमानती आरोपी भी शामिल हैं। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया उपरोक्त सभी अठारह एफआईआर नामजद आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354 बी, 386, 427, 504, 506 और धारा 3(1)(आर)(एस) अधिनियम के तहत अपराध का मामला बनता है। तदनुसार, उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354 बी, 386, 427, 504, 506 तथा धारा 3(1)(आर)(एस) अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन जारी किया जाता है।

31-7-2019 को आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति की प्रतीक्षा में रखा गया।

(लेखापित)
विशेष न्यायाधीश,
दरभंगा
23.05.2019"

28. **सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता [(2015) 3 एससीसी 424]** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा-8 और 9 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:-

"8. शिकायत याचिका में लगाए गए आरोपों के विवरण, शिकायतकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान और साथ ही उन सामग्रियों पर विचार करने के बाद, जिन पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया था, जिन्हें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मांगा गया था, विद्वान मजिस्ट्रेट ने, हमारी सुविचारित राय में, आरोपी व्यक्तियों को बुलाने में कोई गलती नहीं की है। संज्ञान और बुलाने के चरण में मजिस्ट्रेट को केवल अपराध का संज्ञान लेने के उद्देश्य से अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, या दूसरे शब्दों में, यह पता

लगाने के लिए कि क्या आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। इस स्तर पर, विद्वान मजिस्ट्रेट को बचाव पक्ष के संस्करण या सामग्री या तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे शिकायतकर्ता की सामग्री या साक्ष्य की योग्यता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर यह पता लगाने का अभ्यास नहीं करना चाहिए कि सामग्री दोषसिद्धि की ओर ले जाएगी या नहीं।

9. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। इसलिए आरोप तय करने के चरण में कोई भी अभियुक्त आरोपमुक्ति की मांग कर सकता है, यदि वह यह दिखा सके कि उस विशेष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए सामग्री बिल्कुल अपर्याप्त है। लेकिन इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता केवल बाद के चरण में होती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, न कि संज्ञान लेने और प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर अभियुक्त को बुलाने के चरण में। आरोप तय करने के चरण में भी, दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए सामग्री की पर्याप्तता की आवश्यकता नहीं होती है और आरोपमुक्ति के लिए प्रार्थना केवल तभी स्वीकार की जा सकती है, जब न्यायालय को लगे कि परीक्षण के उद्देश्य के लिए सामग्री पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह भी कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध मजबूत संदेह पैदा करने वाली सामग्री होती है, तब भी न्यायालय आरोपमुक्ति के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने और अभियोजन पक्ष को कानून के अनुसार संपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने का अवसर देने में न्यायसंगत होगा, ताकि

परीक्षण के समापन पर दोनों पक्षों के मामले पर उचित रूप से विचार किया जा सके।"

29. **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सोम नाथ थापा एवं अन्य [(1996) 4 एससीसी 659]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तर को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा कि आरोप कब तय किया जा सकता है?

30. इस संदर्भ में, कानून की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए नीचे प्रासंगिक पैराग्राफों के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा कि कब आरोप तय किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:-

"26. श्री राम जेठमलानी ने आग्रह किया है कि तीनों धाराओं की भाषा में कुछ भिन्नता के बावजूद, जो आरोप तय करने या आरोपमुक्त करने के प्रश्न से संबंधित हैं, जो सत्र परीक्षण या वारंट मामले या समन मामले के परीक्षण से संबंधित हैं, अंततः एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अर्थात आरोप तय करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना चाहिए। यही बात दो न्यायाधीशों की पीठ ने आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले [(1986) 2 एससीसी 716] में कही थी।

7. आइए हम श्री जेठमलानी के दिमाग में आने वाली तीन धाराओं पर ध्यान दें। ये धाराएँ हैं 227 और 228 जहाँ तक सत्र परीक्षण का सवाल है; धाराएँ 239 और 240 जो वारंट मामलों के परीक्षण से संबंधित हैं; और धाराएँ 245(1) और (2) जो समन मामलों के परीक्षण से संबंधित हैं। वे नीचे दी गई हैं:

"227. उन्मोचन.- यदि मामले के अभिलेख और उसमें प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात्, तथा इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के निवेदनों को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश का विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के उसके कारण अभिलिखित करेगा।

"228. आरोप का निर्धारण।—(1) यदि उक्त विचार और सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय में यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, जो--

(क) यदि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकेगा और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर सकेगा और तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट-मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार अपराध का विचारण करेगा;

(ख) यदि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां आरोप अभियुक्त को पढ़कर

सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा तथा अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण का दावा करता है।

239. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा- यदि पुलिस रिपोर्ट और धारा 173 के अधीन उसके साथ भेजे गए दस्तावेज पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा और ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

240. आरोप विरचित करना।--(1) यदि ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट की राय में यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय कोई अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसे, उसकी राय में, उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा।

(2) इसके बाद आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा, तथा उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी है या मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है।

245. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा.- यदि धारा 244 में निर्दिष्ट समस्त साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है, जिसका खंडन न किए जाने पर उसे दोषसिद्ध किया जा सके, तो मजिस्ट्रेट उसे उन्मोचित कर देगा।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पूर्व चरण में अभियुक्त को उन्मोचित करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह आरोप को निराधार मानता है।

28. अंतुले मामले [(1986) 2 एससीसी 716: 1986 एससीसी (आप.) 256] में कही गई बातों पर विचार करने से पहले कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी [(1977) 2 एससीसी 699: 1977 एससीसी (आप.) 404: (1977) 3 एससीआर 113] में व्यक्त दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ (जैसा कि वे तब थे) ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए (एससीआर पृष्ठ 119: एससीसी पृष्ठ 704 पर) कहा कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने की धारणा के लिए कोई आधार है या नहीं। चूंकि आरोप तय करना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद

तक प्रभावित करता है, इसलिए इस तरह के आदेश की गारंटी देने वाली सामग्री पर उचित विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

29. स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद मामले में इस संबंध में जो कहा गया था [स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद बनाम दिलीप नाथूमल चोर्डिया, (1989) 1 एससीसी 715: 1989 एससीसी (आप.) 285] जिसे पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मोहम्मद खालिद [(1995) 1 एससीसी 684: 1995 एससीसी (आप.) 226] के पैराग्राफ 78 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, वह यह है कि आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय अदालत को यह देखना होगा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री आरोपी को अपराध से उचित रूप से जोड़ती है या नहीं। इस बारे में और अधिक पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

30. अंतुले मामले में [(1986) 2 एससीसी 716] मुख्य न्यायाधीश भगवती ने तीनों धाराओं की भाषा में अंतर को देखते हुए कहा कि भाषा में अंतर के बावजूद, इस बात पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस स्तर पर अदालत को आरोप तय करने के सवाल पर विचार करना होता है, उसमें "प्रथम दृष्टया" मामले की कसौटी लागू की जानी चाहिए। श्री जेठमलानी के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला तब बनता हुआ कहा जा सकता है जब सबूतों का खंडन किए बिना आरोपी को दोषसिद्धि के योग्य बनाया जा सके। हमारे विचार में, कानून का बेहतर और स्पष्ट

कथन यह होगा कि यदि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो अदालत उचित रूप से कह सकती है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए उस अपराध को करने के लिए उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सकता है।

31. आइए 'अनुमान' शब्द का अर्थ देखें। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसे "संभावित साक्ष्य पर विश्वास करना या स्वीकार करना" के रूप में परिभाषित किया गया है। (जोर हमारा)। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यह उल्लेख किया गया है कि कानून में 'अनुमान' का अर्थ है "जब तक विपरीत साक्ष्य सामने न आ जाए, तब तक साबित मान लेना"। स्ट्राउड लीगल डिक्शनरी ने इस संदर्भ में एक निश्चित निर्णय उद्धृत किया है जिसके अनुसार "अनुमान तथ्यों (या तो निश्चित, या प्रत्यक्ष गवाही द्वारा सिद्ध) से निकाले गए संभावित परिणाम हैं जो कथित तथ्य की सच्चाई के बारे में हैं।" (जोर दिया गया)। पी रामनाथ अय्यर द्वारा लॉ लेक्सिकन में 1987 संस्करण के पृष्ठ 1007 पर यही उद्धरण मिलता है।

32. उपर्युक्त से पता चलता है कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर, कोई न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि अपराध का होना संभावित परिणाम है, तो आरोप तय करने का मामला मौजूद है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो वह आरोप तय

कर सकता है, हालाँकि दोषसिद्धि के लिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यह स्पष्ट है कि आरोप तय करने के चरण में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के साक्ष्य मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है; अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों को उस चरण में सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।"

31. **वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य [(2015) 8 एससीसी 293]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैराग्राफ-13 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, **यह माना गया था कि:—**

"यह सच है कि तथ्यों का एक निश्चित समूह एक दीवानी अपराध के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी हो सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के पास एक दीवानी उपाय उपलब्ध हो सकता है, वह अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शुरू से ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था, जो कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। हमारे विचार में शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। जब यह पाया जाता है कि

आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है या अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालयों को न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारे विचार में इन तथ्यों के मद्देनजर पुलिस जांच को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करके एक गलती की है।"

32. न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख करना भी उचित होगा कि किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाए।

33. इस संदर्भ में, **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 सप (1) एससीसी 335]** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैराग्राफ-102 और 103 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार है: -

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित

श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और लचीले दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित किया जाए और विभिन्न प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची दी जाए जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।"

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

103. हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत ही संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; यह कि न्यायालय द्वारा प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करना न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या सनक के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।"

34. **गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 603]** के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैराग्राफ-34 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

"34. जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप का सवाल है, हम केवल यह बता सकते हैं कि इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 966 में माना है कि केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के तहत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या संहिता की धारा 482 के तहत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार:-

"15. आमतौर पर, एससी/एसटी अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों से उत्पन्न अपराधों से निपटने के दौरान, न्यायालय अपने दृष्टिकोण में अत्यंत सतर्क रहेगा। एससी/एसटी

अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अपमान, अपमान और उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने के लिए बनाया गया है। एससी/एसटी अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता की भी मान्यता है कि कई उपाय करने के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियाँ उच्च जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों के अधीन हैं। न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि एससी/एसटी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य इन कमजोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा करना और साथ ही जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।

16. दूसरी ओर, जहां न्यायालय को <u>यह प्रतीत होता</u> है कि विचाराधीन अपराध, हालांकि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से सिविल या निजी है, जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह, समझौता/समझौते के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं होगा या

कम नहीं होगा, भले ही विचाराधीन अपराधी को दंडित न किया जाए, तो केवल यह तथ्य कि <u>अपराध एक 'विशेष क़ानून' के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।</u>

35. **हितेश वर्मा** मामले (ऊपरोक्त) के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा 13 और 14 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः-

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और धमकी के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या धमकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपराध तब माना जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को अपमान और उत्पीड़न के तत्वों के अधीन किया जाता है। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा अपमान, अपमान या उत्पीड़न के कारण नहीं है। प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि

अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, या प्रतिवादी 2 ने सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, तो पक्षकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उनके उपचार उपलब्ध हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं की गई है कि प्रतिवादी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।

14. प्रावधान का एक अन्य मुख्य घटक "सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान" में अपमान या धमकी देना है। "सार्वजनिक दृश्य में स्थान" किसे माना जाना चाहिए, इस पर न्यायालय के समक्ष स्वर्ण सिंह बनाम राज्य [(2008) 8 एससीसी 435] के रूप में दर्ज निर्णय में विचार किया गया था। न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान" के बीच अंतर किया था। यह माना गया कि यदि कोई अपराध भवन के बाहर किया जाता है, जैसे कि घर के बाहर लॉन में, और लॉन को सड़क या गली से कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल के बाहर देख सकता है, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य में एक स्थान होगा। इसके विपरीत, यदि टिप्पणी भवन के अंदर की जाती है, लेकिन वहां कुछ आम लोग मौजूद हैं (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं) तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह सार्वजनिक दृश्य में नहीं है। न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना:-

> *"28. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता विनोद नागर को अपीलकर्ता 2 और 3 द्वारा अपमानित किया गया (उसे "चमार" कहकर) जब वह परिसर के गेट पर खड़ी कार के पास खड़ा था।*

हमारी राय में, यह निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान था, क्योंकि एक घर का गेट निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान है। यह एक अलग मामला हो सकता था यदि कथित अपराध किसी इमारत के अंदर किया गया होता, और सार्वजनिक दृश्य में भी नहीं होता। हालाँकि, यदि अपराध इमारत के बाहर किया जाता है, उदाहरण के लिए चारदीवारी के बाहर लॉन में, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान होगा। साथ ही, भले ही टिप्पणी किसी इमारत के अंदर की गई हो, लेकिन कुछ आम लोग वहाँ मौजूद हों (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं) तब भी यह एक अपराध होगा क्योंकि यह सार्वजनिक दृश्य में है। इसलिए, हमें "सार्वजनिक दृश्य के भीतर स्थान" अभिव्यक्ति को "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। एक स्थान एक निजी स्थान हो सकता है लेकिन फिर भी सार्वजनिक दृश्य के भीतर हो सकता है। दूसरी ओर, सार्वजनिक स्थान का अर्थ सामान्यतः ऐसा स्थान होता है जो सरकार या नगर पालिका (या अन्य स्थानीय निकाय) या गांव सभा या राज्य के किसी अंग के स्वामित्व में हो या पट्टे पर हो, न कि किसी निजी व्यक्ति या निजी निकायों के स्वामित्व में हो।"

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानूनी अनुपात को वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में लाने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का मुख्य मुद्दा पक्षों के बीच भूमि विवाद है। यह स्पष्ट है कि इसी घटना के लिए, अपीलकर्ताओं की ओर से रायम थाना मामला संख्या 9/2017 के रूप में एक क्रॉस केस भी दर्ज किया गया था। इसलिए, घटना एक स्वीकृत स्थिति है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि संज्ञान अपराध के लिए लिया जाता है, न कि अभियुक्त के खिलाफ। यह भी अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्तियों के संबंध में प्रस्तुत चार्जशीट से अलग दृष्टिकोण अपना सकता है, यहां तक कि उन्हें दोषमुक्त भी कर सकता है और उन्हें सुनवाई के लिए नहीं भेज सकता है।

37. संज्ञान आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दो घायल गवाहों, अर्थात् सत्तो चौपाल और सरोज चौपाल के बयान पर विचार किया गया, जिन्होंने घटना में अपीलकर्ताओं सहित सभी एफआईआर नामजद आरोपियों की संलिप्तता का समर्थन किया, जिसमें मारपीट कर शारीरिक चोट पहुंचाने का विशेष आरोप लगाया गया था। उन्हें भी गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं और उनके बयान के आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ अलग नोट क्वा फाइनल फॉर्म लेकर संज्ञान लिया गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने का *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनता है।

38. इस न्यायालय को अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के इस कथन में बल नहीं दिखता कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न होकर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लेते समय कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि घायलों/चश्मदीदों के उपरोक्त कथनों के मद्देनजर, जहां अपीलकर्ताओं का नाम एफआईआर में है, शारीरिक चोट पहुंचाने का विशिष्ट आरोप है, इसलिए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित

अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के रूप में संज्ञान कानून की नजर में गलत नहीं कहा जा सकता, केवल इस कारण से कि घटना के समय उनके मोबाइल फोन किसी अन्य स्थान पर पाए गए थे, जो कि एक विवादित तथ्य है, जो अपीलकर्ताओं की '*एलीबाई*' से संबंधित है, जिसे केवल मुकदमे के दौरान ही पता लगाया जा सकता है।

39. इसलिए, दिनांक 24.05.2019 और 15.09.2022 को क्रमशः संज्ञान और 'आरोप निर्धारण' के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना में कोई योग्यता नहीं है, और इसे उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी कारणों के मद्देनजर स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि यह आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354-बी, 386, 427, 504 और 506 के तहत किए गए अपराधों से संबंधित है।

<u>एससी/एसटी अधिनियम के लिए संज्ञानः</u>

40. सर्वप्रथम, वर्तमान मामले में इस मुद्दे पर निर्णय करना उचित नहीं होगा कि क्या जाति 'चौपाल' अनुसूचित जाति है या नहीं, जैसा कि सूचक द्वारा दावा किया गया है और अपीलकर्ताओं द्वारा विवादित है, क्योंकि यह सूची में नहीं है।

41. हालांकि, एक पल के लिए यह मान लें कि 28.12.2012 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 'चौपाल' अनुसूचित जाति है, जैसा कि मुखबिर ने दावा किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप भूमि विवाद की पृष्ठभूमि में लगाया गया था जिससे आरोप और भी गंभीर हो गया। ऐसा कहीं नहीं लगता कि यह घटना एससी और एसटी अधिनियम, 1989 के अर्थ में परिभाषित अत्याचारों के कारण हुई, जो निश्चित रूप से भूमि विवाद से बाहर है। एफआईआर के अवलोकन से ऐसा कहीं नहीं लगता कि 'साला चौपालवा' शब्द बोलना और थूकना जैसा कि आरोप लगाया गया है, सार्वजनिक रूप से किया गया था।

42. इसलिए, **गुलाम मुस्तफा मामले (उपरोक्त) और हितेश वर्मा** मामले (उपरोक्त) का मार्गदर्शक नोट लेने पर, यह प्रतीत होता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दरभंगा द्वारा जीआर मामला संख्या 13/2017 में एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर)(एस) के तहत अपराध के लिए दिनांक 24.05.2019 के आदेश के अनुसार अपराध का संज्ञान लिया गया, जो रायम थाना कांड संख्या 8/2017 से उत्पन्न हुआ था, कानून की नजर में बुरा है और तदनुसार, इसे रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है।

43. वर्तमान रद्द करने के आवेदन को उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

44. तदनुसार, विद्वान विशेष न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले को सुनवाई और निपटान के लिए उचित न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक पक्ष में उचित कदम उठाए।

45. लंबित अंतरिम याचिका, यदि कोई हो, का निपटारा उपरोक्त आदेश के अनुसार किया जाएगा।

46. न्यायालय के आदेश की एक प्रति शीघ्र विद्वान विचारण न्यायालय को इसकी अनुपालना के लिए भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।